विविध-9265-I-16

माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, (म.प्र.)

प्रकरण क्र. ...../2016

आशिक मोहम्मद आयु 55 वर्ष निवासी म.नं. 03 मोतिया क्वाटर्स , एम 74 के सामने 56 क्वाटर्स के पास टीलाजमालपुरा , भोपाल (म.प्र.) .... आवेदक

बनाम

श्रीमान् तहसीलदार महोदय ,
तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा म.प्र.
.... अनावेदक

श्री डी० के० पाठी आज दि० 28-11-16 को द्वारा प्रस्तुत
28-11-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
605
28-11-16

आवेदन अंतर्गत धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र. – 652–दो–एवम–653–दो–15 में पारित आदेश दिनांक 04/01/2016 में दिए गए आदेश का जान–बूझकर उल्लंघन करने से उद्‌भूत

आवेदक इस आवेदन के माध्यम से निम्न प्रकार निवेदन करता है :–

श्रीमान् महोदय ,

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बासौदा द्वारा प्रकरण क्र. 572/अ/68/11–12 म.प्र. शासन बनाम नूर मोहम्मद भू.रा. संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रचलित कर नूर मोहम्मद का अतिक्रमण मानकर दिनांक 06/09/2012 को अंकन 4,95,000 रूपए (चार लाख पिंचयानवे हजार) जुर्माने का आदेश पारित कर दिनांक 10/09/2012 को मकान मार्केट राजसात करने के आदेश पारित किया है । इस प्रकरण में आवेदक आशिक मोहम्मद को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 21/08/12 से 12/09/12 से पूर्णतः प्रमाणित है जो अनुसूची क्रमांक (1) पेज 01 से 05 अवलोकनार्थ संलग्न है।

जो अनुसूची क्रमांक (1) पेज – 1 से 5 अवलोकनार्थ संलग्न हैं ।

2. यह कि इस प्रकरण क्र.572/अ/68/11–12 म.प्र. शासन बनाम नूर मोहम्मद में आवेदक आशिक मोहम्मद को पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना दी गई है । इस कारण न्यायालय तहसीलदार बासौदा के आदेश आवेदक आशिक मोहम्मद पर बंधनकारी नहीं हैं । प्रकरण में आवेदक आशिक मोहम्मद के स्वामित्व के मकान (मार्केट) को नूर मोहम्मद का अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिनांक 10/09/12 को उक्त मकान (मार्केट) को भू.रा. संहिता 1959 की धारा 248 के परिपेक्ष्य में शासन के पक्ष में अधिहारित करने के आदेश दिया इसी दिनांक 10/09/12 को न्यायालय तहसीलदार एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आवेदक के मकान

P.T.O.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – विविध 9265–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील भारद्वाज एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री प्रखर ढुगले उपस्थित । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण अवमानना का है जो तहसीलदार गंजबासौदा जिला विदिषा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जबकि अवमानना अधिवनियम के तहत अवमानना का प्रकरण संबंधित अधिकारी जिसके द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, के विरूद्ध नाम से प्रस्तुत किया जाता है नाकि पदनाम के विरूद्ध । दर्षित परिस्थिति में यह विविध प्रकरण विधिवत प्रस्तुत न किये जाने के कारण समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	